पर्यटन निदेशालय,उत्तराखण्ड

पं0 दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट–ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड़,
नींबूवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून

संख्या– 1006 /2–6–749/2019–20 — दिनांक 2 जुलाई जून 2019

–:कार्यालय आदेश:–

शासनादेश संख्या–554/VI(1)/2019–03(65)/2018 दिनांक 19 जून 2019 द्वारा **जनपद चमोली के अन्तर्गत मालसी गधेरे में लकडी पुलिया निर्माण (स्पान 8 मीटर) का कार्य** हेतु निर्माण इकाई प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा गठित आगणन रू0 1.53 लाख (रूपये एक लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में ट्रैकिंग मार्गो का सुधार/विकास मानक मद में प्रावधानित धनराशि रू0 200.00 लाख में से रू0 1.53 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त प्राप्त स्वीकृति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में "ट्रैकिंग मार्गो का सुधार/विकास मानक मद" में प्रावधानित धनराशि रू0 200.00 लाख में से **जनपद चमोली के अन्तर्गत मालसी गधेरे में लकडी पुलिया निर्माण (स्पान 8 मीटर) का कार्य** हेतु **रू0 1.53 लाख (रूपये एक लाख तिरपन हजार मात्र)** धनराशि आहरित कर सम्बन्धित निर्माण इकाई प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को निम्न विवरणानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019–20 में आहरित क जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	जनपद चमोली के अन्तर्गत मालसी गधेरे में लकडी पुलिया निर्माण (स्पान 8 मीटर) का कार्य	1.53	1.53	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
	योग–	**1.53**	**1.53**	

(रूपये एक लाख तिरपन हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण पर्यटन निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो उक्त धनराशि को आहरित कर बैंक ड्फ्ट/चैक के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वनप्रभाग गोपेश्वर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पदित करना सुनिश्चित करें।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग मे लायी जाये।

7– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिर्वतन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

9— व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा इसके क्रम में समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10— आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च 2020 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

11— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिर्वतन का अधिकार विभाग के पास नही होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

12— वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

13— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—2047/XIV-219(2006), दि0 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

14— मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—1355/VIII/16-27(श्रम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के अनुपालन में निर्माण कार्यो की कुल अनुमोदित डी0पी0आर0 का 01% उपकर राशि की कटौती करते हुये इस धनराशि को सचिव, उत्तराखण्ड भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में करना सुनिश्चित किया जाये।

15— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा।

16— उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019—20 के अनुदान संख्या—26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—5452—पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय—80—सामान्य—104—सम्बर्धन तथा प्रचार—04—राज्य सेक्टर—53—ट्रैकिंग मार्गो का सुधार/विकास—24—वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

(दिलीप जावलकर)
निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड।

संख्या— 1006 /(1)/2—6—749/2019—20, समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार,लेखा एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3— आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
4— जिलाधिकारी, चमोली (गोपेश्वर)।
5— प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग उत्तराखण्ड।
6— प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
7— वित्त अधिकारी साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8— लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून
9— आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
10— जिला पर्यटन विकास अधिकारी गोपेश्वर।
11— आदेश पंजिका/गार्ड फाईल/विभागीय बेवसाईट।

(जयपाल सिंह तोमर)
निदेशक वित्त